<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 755 / 2008

संस्थापन दिनांक 06.09.2008

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—हंसराजिसंह यादव पुत्र रामदेव उम्र 28 साल, निवासी जौनई शा0प्रा0 विद्यालय के सामने थाना जसवन्त नगर जिला इटावा उ.प्र.

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 427, 304ए (दो बार) भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 31.08.08 को 14:30 बजे मौ मेहगांव रोड पर रामिसया शर्मा अ0सा04 के ट्यूबबैल के पास आम रोड पर अपने वाहन ट्रक कमांक यू०पी0—75—एफ.9666 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—30बी—9984 में टक्कर मारकर उसमें करीब 39,000/—रुपये का नुकसान कारित किया तथा उक्त मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे चन्द्रेश व शिवकांत की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 31.08.08 को फरियादी राजू उर्फ राजकुमार अ0सा01 का भाई चन्द्रेश अपने लड़के डस्टोन का निमंत्रण कार्ड वितरित करने हेतु मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0—30बी—9984 से ग्राम सोनी से सुबह 8 बजे निकला था मोटरसाइकिल पर पीछे शिवकान्त बैटा था तथा फरियादी राजकुमार अ0सा01 अपनी मोटरसाइकिल से पीछे से आ रहा था जैसे ही समय करीब 02:30 बजे चन्द्रेश अपनी मोटरसाइकिल से रामिसया शर्मा अ0सा04 के ट्यूबबैल के पास आम रोड पर आया उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक कमांक यू0पी0—75—एफ.9666 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और पीछे से चन्द्रेश की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी टक्कर काफी जोर से लगी जिससे चन्द्रेश व पीछे बैठे शिवकान्त की मौके पर ही मौत हो गयी तथा

10

मोटरसाइकिल टूट गयी। तत्पश्चात फरियादी राजू उर्फ राजकुमार शर्मा अ०सा०1 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपार्ट प्र०पी—1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप०क० 66 / 08 पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतू निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या घटना दिनांक 31.08.08 को 14:30 बजे मौ मेहगांव रोड पर रामिसया शर्मा अ0सा04 के ट्यूबबैल के पास आम रोड पर अपने वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0—75—एफ.9666 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0—30बी—9984 में टक्कर मारकर उसमें करीब 39,000 / —रुपये का नुकसान कारित किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे चन्द्रेश व शिवकांत की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ पर सकारण निष्कर्ष//

राजकुमार अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2008 में तीन से पांच बजे के मध्य की घटना है वह रामसिया अ0सा04 के ट्यूबैल के पास मौ-मेहगांव रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसके चाचा का लड़का चन्द्रेश वह भी मोटरसाइकिल से जा रहा था जिसके पीछे टिन्कू उर्फ रमाकांत बैठा था। वह स्वयं अपनी मोटरसाइकिल से पीछे आ रहा था। पीछे से एक रेत भरा ट्रक अनियंत्रित रूप से तेजी से चलकर आया और चन्द्रेश की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल ट्रक में फंसकर घिसटती हुई चली गयी और दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी ट्रक का नंबर उसे याद नहीं है उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र0पी–1 लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। नक्शामौका प्र0पी-3, सफीना प्र0पी-2, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-4 व 5 शिवकांत की शव प्राप्ति रशीद प्र0पी-6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर नुकसानी रशीद प्र0पी-7 तैयार की थी। ट्रक का आगे का हिस्सा व मोटरसाइकिल घटनास्थल से जप्त की गयी थी। जप्ती पत्रक प्र0पी-8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन के सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्र0पी–5 में उसने ट्रक का नंबर यू0पी0–75–एफ.9666 लिखाया था और मोटरसाइकिल का नंबर एम0पी0-30-बी.9984 लिखाया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय उसकी गाडी आहतगण की गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर थी। ट्रक कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। उसने ट्रक का नंबर दुर्घटना के समय देख लिया था परन्तु नंबर

अधिक समय होने के कारण उसे याद नहीं है।

साक्षी रामसिया अ०सा०४ जो अभियोजन मामले में घटना का प्रत्यक्ष साखी उल्लिखित है उसी के ट्यबैल के सामने घटना घटित हुई है, ने कथन किया है कि उसका ट्यूबैल ग्राम घमूरी की रोड पर है 8 वर्ष पूर्व दोपहर की ध ाटना है। मोटरसाइकिल पर दो सोनी के लड़के मौ से सोनी की तरफ जा रहे थे तब मेहगांव की ओर से एक एल.पी. गाड़ी तेज गति से चलती हुई आई जिसका नंबर उसे याद नहीं है और उसने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे दोनों लंडकों की मृत्यू हो गयी। एल.पी. गांडी कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम और न ही उसने ड्रायवर को देखा हे उसने पुलिस को खबर कर दी थी पुलिस ने आकर शव को उटा लिया। उसके सामने पुलिस ने नक्शा नहीं बनाया। नक्शामौका प्र0पी–3 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने लाश का पंचायतनामा प्र0पी–4 व 5 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष कोई नंबर प्लेट जप्त नहीं की गयी थी बस मोटरसाइकिल उटाकर थाने पर ले गये थे। जप्ती पत्रक प्र0पी-8 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि ट्रक का नंबर यू0पी0–75–एफ.9666 था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि ट्रक को आरोपी हंसराज चला रहा था। जबकि ट्रक का नंबर व आरोपी हंसराज का नाम इस साक्षी द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्र0पी–8 में उल्लिखित है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर इस साक्षी ने उक्त कथन दिए जाने से इंकार किया है।

साक्षी दयानन्द अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह आरोपी हंसराज को नहीं जानता है। चार-पांच वर्ष पूर्व शिवकांत व एक अन्य लड़के की मृत्यु हो गयी थी और वह पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल पहुंचा था उसे लोगों ने बताया था कि ट्रक से एक्सीडेन्ट हो गया है। ट्रक को चालक कैसे चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी–4 व 5 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नुकसानी पंचनामा प्र0पी–7 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 21.08.08 को वह राजू की मोटरसाइकिल पर प्रहलाद अ0सा02 के साथ बैठकर आरौली जा रहा था और उसके आगे मृतक शिवकांत व कमलेश की मोटरसाइकिल जा रही थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एफ.9666 को आरोपी हंसराज ने तेजी व लापरवाही से चलाकर शिवकांत व चन्द्रेश की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस साक्षी द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्र0पी–10 में ट्रक नंबर यू0पी0–75–एफ. 9666 को आरे।पी हंसराज द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चालाया जाना उल्लिखित है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर इस साक्षी ने उक्तानुसार कथन दिए जाने से इंकार किया है। अतः इस अभिलिखित प्रत्यक्ष साक्षी ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

साक्षी प्रहलाद अ०सा०२ ने कथन किया है कि वर्ष 2008 की घटना है उसे थाने से फोन आया था कि उसके रिश्तेदार चन्द्रेश व शिवकांत की मृत्यु हो गयी है अस्पताल आ जाओ तब वह सीधे घर से अस्पताल पहुंच गया। इसके अलावा वह कहीं नहीं गया। वह घटनास्थल पर नहीं था। उसे नहीं मालूम कि दुर्घटना किसने कारित की। पुलिस ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराकर सौंप

दिया था सफीना प्र0पी—2, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी—4 व 5 और नुकसानी पंचनामा प्र0पी—7 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 31.08.08 को उसकी मोटरसाइकिल के आगे चन्द्रेश और शिवकांत दूसरी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तब रामसिया के ट्यूबैल के पास ट्रक कमांक यू0पी0—75—एफ.9666 को आरोपी हंसराज तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और चन्द्रेश व शिवकांत की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी इस सुझाव से भी इंकार किया है कि ट्रक की नंबर प्लेट टूटकर गिर गयी थी। इस साक्षी द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्र0पी—9 में ट्रक नंबर यू0पी0—75—एफ.9666 को आरोपी हंसराज द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चालाया जाना उल्लिखित है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर इस साक्षी ने उक्तानुसार कथन दिए जाने से इंकार किया है। अतः इस अभिलिखित प्रत्यक्ष साक्षी ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

अतः प्रकरण में परीक्षित कराये गये किसी भी परीक्षित साक्षी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि घटना के समय आरोपी ने ट्रक क्रमांक यू०पी0-75-एफ.9666 को परिचालित किया जबकि धारा 161 द.प्र.स. के अधीन दिए कथन में प्रहलाद अ०सा०२, दयानन्द अ०सा०३, रामसिया अ०सा०४ ने आरोपी द्वारा ही ट्रक का परिचालन किया जाना बताया है। फरियादी राजकुमार अ०सा०१ ने भी मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में ट्रक का नंबर याद न होना स्वीकार किया है। और मात्र सुझाव में ट्रक का नंबर बताया है जबकि स्वयं को ट्रक का नंबर याद नहीं है तब सुझाव से उसने ट्रक का नंबर कैसे स्वीकार किया यह स्पष्ट नहीं होता है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है और प्रत्यक्ष साक्षियों ने ही घटना के समय आरोपी द्वारा आरोपित वाहन चलाया जाना स्वीकार नहीं किया है। अतः अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 31.08.08 को 14:30 बजे मी मेहगांव रोड पर रामसिया शर्मा अ०सा०४ के ट्यूबबैल के पास आम रोड पर अपने वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एफ.9666 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30बी.-9984 में टक्कर मारकर उसमें करीब 39,000 / – रुपये का नुकसान कारित किया तथा उक्त मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर बैठे चन्द्रेश व शिवकांत की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

10 परिणामतः आरोपी को धारा 279, 427, 304ए(दो बार) भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12 प्रकरण में जप्त वाहन ट्रक कमांक यू०पी0—75—एफ.9666 बृजराजसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0